दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06 मार्च 2024

सि.वा.(मू.प.) 176/2024 और अं.आ. 4814/2024, अं.आ. 4815/2024

जतिन जैन एवं अन्य ..... वादीगण

द्वारा: श्री सिद्धार्थ यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री नितिका मंगला और श्री अंकित चड्ढा, अधिवक्तागण

बनाम

अनुज जैन और अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी

निर्णय

न्या. अनूप जयराम भंभानी

वर्तमान वाद एक साधारण दीवानी वाद के रूप में दायर किया गया है।

2. पिछले आदेश दिनांक 29.02.2024 में, श्री सिद्धार्थ यादव, वादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछा गया कि वर्तमान वाद को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 ("वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम") के प्रावधानों के तहत "वाणिज्यिक वाद" के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वाद के माध्यम से किए गए दावे एक

साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न हुए हैं। श्री यादव को इस मामले में 29.02.2024 पर सुना गया था और उन्होंने कुछ न्यायिक पूर्व निर्णय का हवाला देने के लिए और समय मांगा था।

3. श्री यादव का तर्क है कि वाद एक साधारण दीवानी वाद के रूप में बनाए रखा जा सकता है।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान वाद का विषय संपत्ति संख्या 249-ए, उद्योग विहार, फेज-4, गुरुग्राम, हरियाणा की बिक्री आय है, जो एक समय साझेदारी फर्म की संपत्ति थी। हालांकि, उनका कहना है कि एक बार जब बिक्री आय वादी के पिता/पति (जो साझेदारी फर्म के साझेदारों में से एक थे) के व्यक्तिगत खाते में जमा हो गई, तो निधियों का स्वरूप बदल गया, और अब यह नहीं कहा जा सकता है कि निधि साझेदारी फर्म से संबंधित है या दावे साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न हुए हैं। यह तर्क दिया गया है कि ये निधियां वादी के पिता/पति की व्यक्तिगत संपत्ति बन गई; और चूंकि वर्तमान वाद के माध्यम से वादी प्रतिवादीगण से उन निधियों की वसूली तथा उससे होने वाले नुकसान की मांग कर रहे हैं, इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अर्थ में यह विवाद "साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न विवाद" नहीं है।

5. इस संबंध में श्री यादव वादपत्र के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर भरोसा करते हैं:

"27. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को हमेशा से श्री मुकेश जैन के प्रतिवादी संख्या 4 के साथ अपना खाता बंद करने के इरादे के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने मिलीभगत की और श्री मुकेश जैन के व्यक्तिगत खाते से राशि स्थानांतरित कर दी, जिसे बंद किया जाना था। इस तरह, प्रतिवादी संख्या 1 और उनके पिता श्री विजय जैन, प्रतिवादी संख्या 2 और उनकी पत्नी, प्रतिवादी संख्या 3 ने श्री मुकेश जैन के आंध्र बैंक खाते से 8,44,85,000/- रुपये (आठ करोड़ चौवालीस लाख पचासी हजार मात्र) की राशि निकाल ली।

"28. कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री मुकेश जैन द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और उनकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में 8,44,85,000/- (आठ करोड़ चौवालीस लाख पचासी हजार मात्र) रुपये हस्तांतरित करने का कोई अवसर नहीं था। श्री मुकेश जैन पर प्रतिवादी संख्या 1 और/या प्रतिवादी संख्या 3 का कोई भी पैसा बकाया नहीं था, और न ही यह हस्तांतरण स्वेच्छा से या किसी लिखित निर्देश पर किया गया है। यह न तो श्री मुकेश जैन द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 को दिया गया उपहार है। वास्तव में श्री मुकेश जैन ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 के खातों में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की। इस प्रकार, पूरा लेन-देन धोखाधड़ीपूर्ण है और प्रतिवादी संख्या 1 और उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने पिता श्री विजय जैन प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ साजिश में शामिल है।

* * * * *

"30. यह भी कहा गया है कि यह जानते हुए भी कि श्री मुकेश जैन ने अपने बेटे यानी वादी संख्या 1 को अपने व्यवसाय की देखभाल के लिए अपना वैध अधिवक्ता और कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त

किया है, प्रतिवादी संख्या 1 और उसके पिता प्रतिवादी संख्या 2 ने श्री मुकेश जैन और उनके परिवार को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी से उनके बैंक खाते का संचालन किया और आंध्रा बैंक करोल बाग के कर्मचारियों को वादी संख्या 1 की किसी भी पूछताछ/अनुरोध पर विचार न करने/कार्रवाई न करने के लिए गुमराह किया। वादी के पास यह मानने के सभी कारण हैं कि बैंक अधिकारी प्रतिवादीगणके साथ मिलीभगत करके काम कर रहे थे क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 मकान मालिक ने अपना परिसर 17A/53 WEA करोल बाग नई दिल्ली आंध्रा बैंक को 27.04.2018 की लीज डीड के माध्यम से पट्टे पर दिया है, जो 01.05.2018 को पंजीकृत है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 गवाहों में से एक है। वादी कानून के अनुसार बैंक अधिकारियों के खिलाफ अलग से आपराधिक कार्यवाही दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

6. श्री यादव के तर्क का आवश्यक जोर यह है कि वर्तमान वाद प्रतिवादीगणद्वारा एक-दूसरे के साथ मिलीभगत में किए गए गबन से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2,3 और 4 द्वारा, जो किसी भी मामले में, साझेदारी फर्म के भागीदार नहीं थे; और इसलिए, मुकदमे का आधार पक्षों के बीच साझेदारी अनुबंध नहीं है।

7. श्री यादव ने अपने तर्क के समर्थन में ***आई. एच.एच.आर. हॉस्पिटैलिटी (आंध्र) प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा स्वामी अन्य*** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

8. इस बिंदु पर, पहले वादपत्र और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रासंगिक भागों को संदर्भित करना फायदेमंद होगा।

9. वादपत्र के माध्यम से किए गए दावे इस प्रकार हैंः

> *"1. प्रतिवादी सं. 1, 2 और 3, के विरूद्ध संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से वसूली के लिए 11,36,32,325/- (ग्यारह करोड़ छतीस लाख बतीस हजार तीन सौ पच्चीस केवल) रूपए की एक डिक्री पारित करें।*
>
> *"2. मुकदमे की राशि की वसूली की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज के लिए डिक्री पारित करें;*
>
> *"3. प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध 1,00,00,000 रुपये (केवल एक करोड़ रुपये) का हर्जाना देने का आदेश पारित करें;*
>
> *4. कोई अन्य/आगे का आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुर्कत और उचित समझे।"*

10. वर्तमान निर्णय के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक वादपत्र में निहित आरोप निम्नलिखित हैं:

> *"1. वादीगण स्वर्गीय श्री मुकेश जैन के प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो उनकी पत्नी और पुत्र हैं। <u>प्रतिवादी क्रमांक 1 श्री मुकेश जैन के साथ मेसर्स परफेक्ट एसेट्स नामक एक अपंजीकृत साझेदारी फर्म में भागीदार था।</u> प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 का पिता है। प्रतिवादी क्रमांक 3 प्रतिवादी क्रमांक 1 की पत्नी है। वर्तमान विवाद पार्टियों के बीच श्री मुकेश जैन की धोखाधड़ी से*

संचालित संपत्ति के लिए उत्पन्न हुआ है। मुकेश जैन आंध्रा बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) खाता संख्या 030711100004395 अप्रैल-मई 2021 की अवधि से, जबकि उक्त खाते को दिनांक 09.03.2021 और 03.04.2021 के पत्रों के माध्यम से बंद करने का अनुरोध किया गया था और श्री मुकेश जैन की जानकारी और अनुमति के बिना उक्त खाते से 8,44,85,000/- (आठ करोड़ चौवालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की राशि अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए, जहाँ, प्रतिवादी संख्या 4 वह बैंक है, जिसने लिखित निर्देशों के बावजूद उक्त बैंक खाते के संचालन और दुरुपयोग की अनुमति दी है, इसलिए वह श्री मुकेश जैन के बैंक खाते से प्रतिवादीगणद्वारा धोखाधड़ी से धन निकालने में पक्ष है, जिससे श्री मुकेश जैन और वादी को आर्थिक नुकसान हुआ है।

"21. श्री मुकेश जैन की पूर्व जानकारी या लिखित सहमति के बिना और अधिक महत्वपूर्ण रूप से साझेदारी विलेख की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने गुरुग्राम संपत्ति के लिए अपने ससुर की कंपनी, "जैन बिल्डकॉन एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में 31.03.2021 को बिक्री विलेख निष्पादित किया, जिसमें मात्र 2,76,400/- (दो लाख छिहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र) (साझेदारी फर्म के वित्तीय विवरण में दर्शाई गई राशि) का मामूली लाभ हुआ। गुरुग्राम संपत्ति की बिक्री धोखाधड़ीपूर्ण थी; साझेदारी विलेख की शर्तों के विपरीत; श्री मुकेश जैन की अनुमति के बिना; केवल गुड़गांव संपत्ति की बिक्री और खरीद से धन हड़पने के लिए गुप्त तरीके से की गई, ताकि प्रतिवादी संख्या 1 को लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे श्री मुकेश जैन और देबराज सप्लायर एलएलपी को नुकसान और क्षति हुई।

* * * * *

"23. इसके बाद, वादी संख्या 1 ने श्री मुकेश जैन के साथ मिलकर उनके बैंक खातों की प्रति प्राप्त की और बैंक खाता विवरण

प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादीगण *द्वारा किए गए गंभीर धोखाधड़ी और धन के रोटेशन/रूटिंग का एक चौंकाने वाला मामला* वादीगण एवं श्री मुकेश जैन को पता चला। ***गुरुग्राम संपत्ति की बिक्री विलेख निष्पादित होने के बाद साझेदारी फर्म के खाते में 13.95 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी।*** *इसके* ***बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने साझेदारी फर्म के खाते से श्री मुकेश जैन,*** *दीपक जैन और अपने स्वयं के खातों में राशि स्थानांतरित कर दी, लेकिन चौथे भागीदार देबराज सप्लायर एलएलपी के खाते में कभी भी कोई राशि स्थानांतरित नहीं की। प्रतिवादीगण द्वारा जल्दबाजी में और श्री मुकेश जैन की जानकारी के बिना लेनदेन निष्पादित किया गया था, जो अपने आप में उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों की भावना को जन्म देता है।*

"24. *विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया* ***कि साझेदारी खाते में जमा बिक्री आय में*** *से 1.15 करोड़ रुपये दीपक जैन के खाते में,* ***8.47 करोड़ रुपये श्री मुकेश जैन*** *के खाते में तथा 4.25 करोड़ रुपये अनुज जैन (प्रतिवादी संख्या 1) के खाते में स्थानांतरित किए गए।*

* * * * *

"31. दरअसल, धोखाधड़ी वाले लेन-देन के बारे में पता चलने पर, श्री मुकेश जैन और वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 को 28.05.2021 को एक ईमेल भेजा, जिसमें गुरुग्राम की संपत्ति बेचने और बिक्री आय के दुरुपयोग के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया। श्री मुकेश जैन द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को 31.05.2021 को एक और ईमेल भेजा गया, जिसमें स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई गई कि साझेदारी फर्म में निर्णय उनकी सहमति के बिना लिए गए हैं और वादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार दिया गया है।

(जोर दिया गया)

11. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(ग)(xv) एक "वाणिज्यिक विवाद" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ हैः

> *2. परिभाषा.–(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -*
>
> *(ए)-(बी) * * * * **
>
> *(ग) "वाणिज्यिक विवाद" का अर्थ है- से उत्पन्न होने वाला विवाद।*
>
> *(i)-(xiv) * * * * **
>
> *(xv) साझेदारी समझौते।*
>
> *(xvi)-(xxii) * * * * **
>
> *स्पष्टीकरण–एक वाणिज्यिक विवाद केवल इसलिए एक वाणिज्यिक विवाद नहीं रहेगा क्योंकि -*
>
> *(क) इसमें अचल संपति की वसूली या प्रतिभूति के रूप में दी गई अचल संपति से धन की वसूली के लिए कार्रवाई भी शामिल है या अचल संपति से संबंधित कोई अन्य राहत शामिल है;*
>
> *(ख) * * * **

12. वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का अधिकार क्षेत्र तब आकर्षित होता है जब कोई वाद किसी "निर्दिष्ट मूल्य" के "वाणिज्यिक विवाद" से संबंधित होता है। वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वाद की विषय-वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट मूल्य से अधिक है। हालाँकि, तर्क यह है कि वाद किसी "वाणिज्यिक विवाद" से संबंधित नहीं है।

13. ***टी. वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम न्यूज लॉन्ड्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ को यह

जांचने का अवसर मिला कि किसी वाद को वाणिज्यिक विवाद से कब संबंधित कहा जा सकता है। समन्वय पीठ ने यही कहाः

*"43. सांविधिक क़ानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों को उनके सामान्य अर्थ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। धारा 2(1)(ग) में एक सूची शामिल है। लेकिन, यह मानना गलत होगा कि यह वाणिज्यिक विवादों के रूप में योग्य विवादों की एक विस्तृत सूची निर्धारित करता है। यदि यह मंशा थी, तो इस्तेमाल किए गए शब्द काफी होते - "निम्नलिखित वाणिज्यिक विवाद हैं" इसके बजाय, इस्तेमाल किए गए शब्द **"उत्पन्न होने वाले"** हैं। यानी, विवाद का **स्रोत अधिनियम की धारा 2(1)(ग) में सूचीबद्ध खंडों में से एक होना चाहिए।** खंड उत्पन्न होने वाले विवाद की रूपरेखा को सीमित नहीं करते हैं। व्यापारियों के सामान्य लेन-देन, या माल के निर्यात और आयात, या माल की ढुलाई, या निर्माण और बुनियादी ढांचे, आदि के संबंध में वास्तविक विवाद क्या होगा, यह वही रहेगा जो इन अनुबंधों और गतिविधियों के दौरान दो पक्षों के बीच सामान्य रूप से उत्पन्न होगा। इस प्रकार, ऐसा विवाद अनुबंध का उल्लंघन या अनुबंध की शर्तों का प्रवर्तन हो सकता है, जिसमें न केवल कीमत की वसूली हो सकती है, बल्कि संभवतः नुकसान भी हो सकता है; विवाद संयुक्त उद्यम समझौतों के तहत आपसी अधिकारों या दायित्वों या परामर्श समझौतों के संबंध में अधिकारों और दायित्वों से संबंधित हो सकते हैं; प्रौद्योगिकी विकास समझौतों से उत्पन्न विवाद जानकारी और/या गोपनीयता के साझाकरण के अधिकारों को शामिल कर सकते हैं, और इसी तरह आगे भी। संक्षेप में, यदि विवाद **किसी भी खंड से संबंधित थे,** तो विवादों को "वाणिज्यिक" प्रकृति के अतिरिक्त विशेषण के साथ जोड़ा जाएगा। यह वर्गीकरण ऐसे विवादों के परीक्षण और त्वरित निपटान के लिए एक विशेष प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है जो आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं।*

(जोर दिया गया)

14. अगला सवाल यह है कि वर्तमान मामले में "विवाद" क्या है और क्या विवाद को साझेदारी अनुबंध से "उत्पन्न" कहा जा सकता है।

15. ***ए.एन.जेड. ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने "विवाद" शब्द के अर्थ को निम्नलिखित तरीके से समझायाः

> *"11. ..... परिभाषा में "विवाद" शब्द का उपयोग किया गया है। "विवाद" शब्द का शब्दकोषीय अर्थ हैः किसी भी तर्क का विरोध करना; किसी ऐसी चीज के पक्ष या विपक्ष में बहस करना जिसका दावा या समर्थन किया गया हो। ब्लैक की लॉ डिक्शनरी में "विवाद" शब्द का अर्थ हैः एक संघर्ष या संविवाद, विशेष रूप से वह जिसने एक विशेष वाद को जन्म दिया है। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में दिया गया अर्थ हैः एक पक्ष द्वारा दावा किया गया और दूसरे द्वारा अस्वीकार किया गया, दावा गलत या सच हो; अपने व्यापक अर्थों में "विवाद" शब्द का अर्थ पक्षों के बीच खटरट या झगड़ा हो सकता है, एक पक्ष दावा करता है और दूसरा दायित्व से इनकार करता है। गुजरात राज्य सहकारी समिति भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम पी. आर. मांकड़ [(1979) 3 एस. सी. सी. 123:1979 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 225] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "विवाद" शब्द का अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं वाला विवाद है। यह एक पक्ष द्वारा दावे और दूसरे द्वारा इसके खंडन को स्वीकार करता है।"*

(जोर दिया गया)

16. इसके अलावा, ***रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं.,*** में सर्वोच्च न्यायालय ने "उत्पन्न होने वाली" अभिव्यक्ति के महत्व को निम्नलिखिय माध्यम से स्पष्ट किया है:

> *"16. जिब्राल्टर बनाम केनी सरकार में [(1956) 3 सभी ई. आर. 22:(1956) 2 क्यू. बी. 410:(1956) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 466 (क्यू. बी. डी.)] मध्यस्थता खंड में शामिल हैंः*
>
> *..... इस समझौते से या इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाली किसी भी बात या मामले के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद (जो) उत्पन्न होगा या घटित होगा...." (जोर दिया गया)*
>
> *और सेलर्स, जे. ने पी.26 की रिपोर्ट का अवलोकन किया (सभी ई. आर.)*
>
> *कि*
>
> *'समझौते से उत्पन्न होने वाले मामलों' और 'समझौते के तहत होने वाले मामलों' के बीच के अंतर का उल्लेख हेमन बनाम डार्विन्स लिमिटेड [1942 एसी 356 : (1942) 1 ऑल ई.आर. 337 : 166 एल.टी. 303 (एच. एल.)] में अधिकांश भाषणों में किया गया है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि* ***<u>समझौते 'के तहत' होने की तुलना में समझौते 'से उत्पन्न होना' बहुत अधिक व्यापक है</u>।"***
>
> (जोर दिया गया)

17. यह न्यायालय इस स्थिति से भी अवगत है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(ग) के अंतर्गत सूची एक विस्तृत, प्रतिबंधात्मक परिभाषा प्रस्तुत करती है, जैसा कि ***अंबालाल साराभाई***

एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम के.एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी में स्पष्ट किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों की उदार व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, और इससे कानून का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

18. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि के पूर्वगामी कथन को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, इस न्यायालय की राय में, वर्तमान मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

18.1. कानूनी भाषा में, "विवाद" शब्द का व्यापक अर्थ है। यह एक पक्ष द्वारा दावे और दूसरे द्वारा इसके खंडन को स्वीकार करता है। "राहत" शब्द को "विवाद" से अलग किया जाना चाहिए। कानूनी कार्यवाही में मांगी गई राहत न्यायालय से दावा किए गए उपचारात्मक उपाय का एक संदर्भ है, चाहे वह घोषणा, वसूली, विशिष्ट प्रदर्शन आदि के माध्यम से हो। एक मुकदमे में, "विवाद" के संबंध में "राहत" मांगी जाती है।

18.2. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा *2(1)(ग)* में, विधानमंडल उन प्रकार के विवादों को निर्दिष्ट करता है जो उस विशेष अधिनियम के तहत विशेष प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे वह "वाणिज्यिक विवाद" कहता है; और धारा *6* और *7* में, विधानमंडल का कहना है कि "वाणिज्यिक विवाद" होने के अलावा, वाणिज्यिक मुकदमे में मांगी गई राहत भी "निर्दिष्ट मूल्य" की होनी चाहिए।

18.3. जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा *2(1)(ग)(xv)* में, विधायिका अन्य बातों के साथ-साथ यह कहती है कि साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाला विवाद भी एक वाणिज्यिक विवाद है, तो इसका केवल यह अर्थ है कि विवाद साझेदारी समझौते से संबंधित होना चाहिए, न कि यह कि मांगी गई राहत अनिवार्य रूप से साझेदारी समझौते के तहत होनी चाहिए।

18.4. वर्तमान मामले में, वादी धन की वसूली का दावा करते हैं, जो वादी की खुद की स्वीकारोक्ति पर, साझेदारी फर्म से संबंधित संपत्ति की बिक्री आय का हिस्सा है। जिसमें वादी का दिवंगत पिता/पति भागीदार था। यह वादी का तर्क है कि साझेदारी की संपत्ति बेची गई थी*;* बिक्री आय का एक हिस्सा उनके पिता/पति के खाते में जमा किया गया था *(*हालांकि उनके व्यक्तिगत खाते में*);* और इसके बाद प्रतिवादीगणद्वारा धन को गैरकानूनी रूप से वापस ले लिया गया था।

18.5. इसलिए वाद के माध्यम से दावा कि गई संपत्ति बिक्री आय का हिस्सा है जो साझेदारी फर्म के स्वामित्व में थी।

18.6. वाद में प्रतिवादी का तर्क दोहरा हैः

18.6.1. सबसे पहले, कि साझेदारी संपत्ति प्रतिवादी के पिता/पति की सहमति के बिना नहीं बेची जा सकती थी*;* और

18.6.2. दूसरा, कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने पिता/पति के खाते में जमा किए जाने के बाद इसकी बिक्री से प्राप्त आय का दुरुपयोग किया गया है।

18.7. वादी संख्या *1* स्वयं आरोप लगाता है कि साझेदारी फर्म को भंग करने और उसकी संपत्तियों को वितरित करने के बजाय, प्रतिवादीगण ने वाद में विस्तृत तरीके से साझेदारी निधि का गुप्त रूप से दुरुपयोग किया है।

19. पूर्वोक्त के आलोक में, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 सहपठित धारा 2(1)(ग)(xv) और 2(1)(i) के अर्थ के भीतर "निर्दिष्ट मूल्य" के "वाणिज्यिक विवाद" से संबंधित है और इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत इस न्यायालय के समक्ष बनाए रखे जाने योग्य है।

20. इसलिए वाद को एक वाणिज्यिक मुकदमे के रूप में निपटाया जाना आवश्यक है।

21. रजिस्ट्री को तदनुसार वाद के नाम को बदलने का निर्देश दिया जाता है।

22. एक अन्य पहलू जिस पर इस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि वाद को एक वाणिज्यिक वाद के रूप में माना जाना है, क्या वादी वाणिज्यिक

न्यायालय अधिनियम की धारा 12क में शामिल अनिवार्य, मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्थता और निपटान प्रक्रिया से छूट के हकदार होंगे।

23. वर्तमान वाद में दावे केवल धन और नुकसान की वसूली के लिए हैं। हालाँकि वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के सहपठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आई. ए. संख्या 4814/2024 वाला एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें प्रतिवादीगणके बैंक खातों को कुर्क करने और वाद में दावा किए गए धन को सुरक्षित करने के लिए कुछ अचल संपत्तियों को अलग करने से प्रतिवादीगणको रोकने की मांग की गई है, लेकिन वाद में आवश्यक दावा ब्याज के साथ धन की वसूली के लिए है। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, अंतरिम आवेदन के माध्यम से प्रार्थना की गई कुर्की और/या अंतरिम व्यादेश की राहत कुछ हद अव्यवहारिक प्रतीत होती है। इसलिए वादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क के तहत मुकदमे से पहले मध्यस्थता की आवश्यकता का पालन करने से छूट देने का कोई कारण नहीं है।

24. जैसा कि कहा जा रहा है, चूंकि वाद पहले ही संस्थित हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 32275/2023 ***यामिनी मनोहर बनाम टीकेडी कीर्ति*** में पारित दिनांक

13.10.2023 के आदेश से प्रेरणा लेते हुए, वाद को लंबित रखा जाता है, जिसमें वादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 और उसके तहत जारी अभ्यास निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क की आवश्यकता भी शामिल है।

25. पूर्वोक्त के अनुपालन के लिए, 09 जुलाई 2024 को विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष फिर से सूचित करें।

26. इसके बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।

न्या. अनूप जयराम भंभानी

6 मार्च, 2024
वी.रावत

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*